भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 664

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

चिटफण्ड कंपनियों द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन

664. श्री विजय गोयल :

श्री प्रभात झा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में चिटफंड कंपनियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिटफंड कंपनियों द्वारा पंजीकरण और संचालन से संबंधित नियमों का खुला उल्लंघन किये जाने के मामले सामने आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) चिटफंड कंपनियों द्वारा किए गए घोटाले और धोखाधड़ी के विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ड.) : चिट फंड का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा चिट फंड अधिनियम, 1982 जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा शासित और राज्य द्वारा कार्यान्वित अधिनियम है, के अंतर्गत किया जाता है। चिट फंड कंपनी द्वारा कपटपूर्ण योजनाएं चलाकर धोखा देना ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत अपराध है। इसकी जांच करने और अभियोजन चलाने की शक्ति राज्य सरकारों को है।

जहां तक कंपनी अधिनियम का संबंध है, चिट फंड कंपनियों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का निपटान अधिनियम के अनुसार किया जाता है। अब तक मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा ऐसी 68 कंपनियों की जांच का आदेश दिया है। यह जांच उपर्युक्त कानूनों के अंतर्गत राज्य के पुलिस प्राधिकरणों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के अतिरिक्त है।

*****